**न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी— *बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस***

*राजस्व अपील संख्या 146/2018*

| **अपीलान्ट** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| रेवन्तसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत निवासी— मालून्गा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर। | | 1. स्व0 रतनसिंह पुत्र खेतसिंह भाटी के कायमु मुकामः—<br>1. सुगनकंवर पत्नी<br>2. रणजीतसिंह पुत्र<br>3. अमरसिंह पुत्र<br>4. लक्ष्मीकंवर पुत्री निवासीगण मालून्गा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर<br>2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवंरी जोधपुर |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा—75, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 24/2012 अनवान रतनसिंह बनाम रेवतसिंह वगैराह में पारित किया गया।**

*उपस्थितिः—*
1. श्री सिद्वार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से उपस्थित।
2. श्री लादूराम पुनिया, रेस्पोडेन्टस संख्या एक की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः— 27 नवम्बर, 2019

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 24/2012 अनवान रतनसिंह बनाम रेवतसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

दौरान सुनवाई अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम बडा कोटेचा वर्तमान तहसील तिवंरी के खसरा संख्या 63 रकबा 145 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से अपीलान्टस के पक्ष में तत्कालीन भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 20 बीघा भूमि आवंटित हो जाने पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 193 दिनांक 30.4.1975 को तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या एक रतनसिंह के द्वारा प्रथम अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील को दिनांक 8.12.2015 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 193 को निरस्त करते हुए तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए प्रकरण में उभय पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देते हुए 1966 में हुए आवंटन का नियमानुसार युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी जिसे स्वीकार करने में कानूनी भूल की गई है जो लगभग 37 वर्ष पश्चात पेश की गई थी। इतने लम्बे समय उपरान्त पेश की गई अपील को स्वीकार करना न्यायोचित नहीं था।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 193 विधिवत रूप से आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किये जाने पर तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई थी।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट स्वयं ने अपीलार्थी के आवंटन सम्बन्धी कागजात को गायब करवा दिये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या एक भारतीय सेना में सन 1966 में सेवारत था तथा वर्ष 1978 सेवानिवृत हुआ था। विवादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही अपीलार्थी का कब्जा रहा

है जिस पर नलकूप भी स्थापित किया हुआ है। यह तमाम जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी, और रेस्पोडेन्ट यह भी जानता था कि उसके उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और उसे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का भी कोई अधिकार नहीं था और न ही वह अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश से व्यथित पक्षकार था परन्तु उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत एवं झूठे तथ्य पेश करते हुए प्रथम अपील पेश कर दी और उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी किसी भी आधार पर स्वीकार कर ली गई जो अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर उनके समक्ष प्रस्तुत सक्षम अधिकारी के द्वारा उसे जारी सनद को भी पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया जबकि नामा0 संख्या 193 में उल्लेखित आवंटित भूमि के सम्बन्ध में वह पुख्ता दस्तावेज था। इसके अतिरिक्त स्वयं रेस्पोडेन्ट ने अपने आपको भूमिहिन बताते हुए सन् 1996 में नहरी भूमि आवंटन अपने पक्ष में करवाया था। इस प्रकार उसे यह कहने का कोई हक नही है कि उसे भूमि आवंटन नहीं हुआ था। रेस्पोडेन्ट को चाहिये था कि वह उक्त आवंटन आदेश को चुनौती प्रस्तुत करते और नियमित वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही करते। नामान्तकरण प्रक्रिया एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसके आधार पर किसी के पक्ष में हक–अधिकार तय नहीं करवाये जा सकते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2015 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 193 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश दिया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्ट के द्वारा जो अपील पेश की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि के नामा0 संख्या 193 के सम्बन्ध में 1966 में हुए

आवंटन का नियमानुसार युक्तियुक्त निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है वो पूर्ण रूप से उचित है, यदि अपीलान्ट उक्त नामा0 आदेश को सही ठहराता है तो वह अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रिमाण्ड प्रकरण में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उल्लेखित करते हुर प्रथम अपील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी को ग्राम बडा कोटेचा में खसरा संख्या 63 रकबा 145 बीघा 02 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 5.6.1966 को होकर उक्त भूमि का कब्जा उसे सम्भलाया गया तब से लेकर आज दिन तक वह उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है, परन्तु नामान्तरकरण की कार्यवाही के समय वह भारतीय सेना में तैनात था, ऐसे में वर्तमान अपीलान्ट ने तत्तकालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलीभगती करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए आवंटन भूमि का नामा0 संख्या 193 अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया जबकि उसके पक्ष में कोई आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ था। इसके पश्चात तहसीलदार ओसियॉ ने अपीलान्ट रेवन्तसिंह के पक्ष में गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 319 दिनांक 27.9.1977 स्वीकृत कर दिया। उक्त सभी प्रकार की कार्यवाही राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के विपरित की गई जो शून्य कार्यवाही थी।

8. वर्तमान अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत हुए नामा0 संख्या 193 की जानकारी उन्हें वर्ष 2010 में रेस्पो0 के गांव पहुचंने पर हुई। तब सूचना के अधिकार के तहत उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर उन्हें दिनांक 20.7.2012 अपीलाधीन नामा0 इत्यादि दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त की जिसमें रेस्पोडेन्ट को हुए आवंटन आदेश दिनांक 5.6.1966 की नकले, आवंटन के आधार पर दर्ज किये गये गैर खातेदारी नामा0 संख्या 913, इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 63 में अन्य आंवटीगणों जिसमें यथा उगमसिंह पुत्र खेतसिंह, ईशरिया पुत्र बालाराम, केसूलला पुत्र भूरा, उदसिंह पुत्र धोकलसिंह, अचलाराम

पुत्र केसाराम आदि के आवंटन प्रार्थना पत्र मय आवंटन आदेश तथा उनके आधार पर दर्ज किये गये गैर खातेदारी नामा0 संख्या 104, 107, 110, 121, 140 व 183 के नकले प्राप्त हुई थी।

9. रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही विवादित रकबे के आवंटन व आवंटी की कोई सरसरी जॉच की गई, बिना जॉच व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज के ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 193 अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया जो प्रारम्भ स्वीकृति दिनांक से ही शून्य की श्रेणी में होने से निरस्त करने योग्य ही था और शून्य आदेश को चुनौती दिये जाने में किसी प्रकार की कानूनी तथा म्याद की बाध्यता आडे नहीं आती है। श्रीमान अपर जिला कलेक्टर के द्वारा इन्हीं आधारों पर रेस्पोडेन्टस की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

10. रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा वर्ष 1966 में दिनांक 05.06.1966 के द्वारा किये गये ग्राम बडा कोटेचा में खसरा संख्या 63 रकबा 145 बीघा 02 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में होने तथा उक्त आदेश के क्रम में तथा आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होने से वह अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। अपीलान्ट के पक्ष में नियम विरूद्ध तथा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 193 स्वीकृत करवाया है जो निरस्त करने योग्य था और इसी आधार पर अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मुझ रेस्पोडेन्ट की अपील ने अपने आदेश में यह कथन अंकित किये गये कि ''रेस्पोडेन्ट की ओर प्रथम अपील को स्वीकार कर नामा0 संख्या 193 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई एवं वर्ष 1966 में हुए आवंटन का नियमानुसार युक्तियुक्त निर्णय

पारित करने का जो आदेश पारित किया गया है वो उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

11. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अपने निष्कर्ष में यह तथ्य अंकित किये है कि तहसीलदार ओसियॉ की ओर से प्रस्तुत किये गये भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिये आवेदन पत्र रतनसिंह पुत्र खेतसिंह सां. मालूंगा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर पटवारी मालून्गा की रिपोर्ट है, तथा तहसीलदार ओसियॉ द्वारा दिनांक 5.6.1966 को आवंटन खसरा संख्या 63 की 20 बीघा भूमि का किया गया था, उसी आवंटन के आधार पर रतनसिंह के भाई रेवन्तसिंह पुत्र खेतसिंह के नाम 20 भूमि आवंटन का हवाला देकर दिनांक 30.4.1975 में नामा0 संख्या 193 तस्दीक किया गया जो ab-intitio void था और रिकार्ड के विपरित रेस्पो0 संख्या एक के नाम भरे गये हेतु रेस्पो0 कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जो उसके नामा0 के सही भरे जाने की ताईद करता हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मौजा बडा कोटेचा के नामा0 संख्या 193 की प्रविष्टियां आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभय पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देते हुए 1966 में हुए आवंटन का नियमानुसार युक्तियुक्त निर्णय पारित करें।'' वो उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह भी है कि तहसीलदार सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के साथ–साथ पक्षकारान से उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उनके पास उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करे साथ ही भूमि बाबत वर्ष 1966 में हुए आवंटन के वास्तविक आवंटी, आवंटन रजिस्टर में उल्लेखित आवंटनकर्ता की

सत्यता, आवंटन हेतु जारी की गई सनद इत्यादि का अवलोकन करे तथा रेवन्त सिंह का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में किस आधार पर दर्ज किया गया, की भी जॉच करें। अगर रतनसिंह के नाम सनद जारी नहीं हुई तो जरूरी हो जाता है कि आवंटन रजिस्टर का अवलोकन भी गहनता से किया जावे, उनके जमाबन्दी मे खातेदार के रूप में दर्ज होने का आधार इत्यादि की भी जॉच किया जाना आवश्यक है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रस्तुत अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2015 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि '' ग्राम बडा कोटेचा के नामा0 संख्या 193 को निरस्त करते हुए तहसीलदार तिवंरी को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त भूमि के हुए आवंटन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देवें तथा न्यायालय हाजा के उपरोक्त निष्कर्श अनुसार समस्त कार्यवाहियॉ करते हुए प्रकरण का छः माह में आवश्यक रूप से निस्तारण करें। निर्णय आज दिनांक 27 नवम्बर,.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(बी0एल0 कोठारी)**
**डिवीजनल कमिश्नर,**
**जोधपुर**